<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर</u>

क्रमांक – उनि/सशि/एफ–501/निशु/पापु/2026–27/ दिनांक –यथा हस्ताक्षर

<u>अति–आवश्यक</u>

1. **निदेशक,**
   संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
   जयपुर।
2. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं**
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
3. **आयुक्त,**
   जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
   उदयपुर।

विषय :– शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तको की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अग्राकिंत बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉडयूल में सत्र 2025–26 के वितरण की **शत प्रतिशत प्रविष्टि दिनांक 08.12.25 तक** आवश्यक रूप से की जाए।
2. कक्षा 1 से 3 तक एवं कक्षा–7 में सभी विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 04 से 6 एवं कक्षा 8 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी।
3. शैक्षिक सत्र 2026–27 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधें ही पीईईओ/शहरी नोडल (यूसीईईओ) तक पहुंचाई जाएगी। अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी।
4. विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 09 में उसकी प्रविष्टि की जाए।
5. पोर्टल पर सत्र 2025–26 के वितरण की शत् प्रतिशत प्रविष्टि पश्चात् विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अन्तिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है।
6. अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटि पूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल/विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अन्तिम शेष का सत्यापन कर लेवें।
7. **<u>समस्त विद्यालयों द्वारा डिंमाड लॉक करनें की अवधि दिनांक 09.12 .25 सें 12.12.25 तक एवं नोंडल डिमांड लॉक करनें की अवधि दिनांक 13.12.25 सें 15.12.25 तक रहेंगी।</u>**
8. **<u>संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीईओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केन्द्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पन्न करवाएं।</u>**
9. यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल पर सत्र 2026–27 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तके संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी।
10. शैक्षिक सत्र 2026–27 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल मे निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखकर प्रविष्टि की जाए :–
    - कक्षा 02 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग, गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरणार्थ :– यदि शैक्षिक सत्र 2025–26 में कक्षा 04 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 2026–27 में कक्षा 05 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। कक्षा 01 एवं 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा।
    - पीईईओ/शहरी नोडल (यूसीईईओ) स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10 प्रतिशत

स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्याालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है।

- विद्यालय में जिस माध्यम से (हिन्दी/अंग्रेजी) विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है, उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाईल में किया जाना है, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय मे एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इन्द्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र–9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा।
- कक्षा 06 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर, अद्यतन कर लॉक करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव, उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु0)– प्रारम्भिक/माध्यमिक।
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेव साईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
8. उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :05-12-2025 03:02:51

RajKaj Ref No.: 19217900
eSign DSC